भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2467

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

धरोहर स्थलों का विकास एवं व्यावसायिक प्रबंधन

†2467. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर के प्रमुख धरोहर स्थलों, विशेषकर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों तथा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है;

(ख) क्या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा देश के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले खुजराहो में पर्यटन विकास के समन्वय करने तथा पर्यटकों की सुविधा हेतु एक समर्पित पर्यटन कार्यालय स्थापित करने पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खजुराहो मंदिर परिसर में संचालित लाइट एंड साउंड शो के पुनर्गठन तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन की आवश्यकता है;

(घ) यदि हाँ, तो लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन करने तथा पर्यटकों के अनुभव में सुधार लाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक, विरासत संबंधी और प्रतिष्ठित महत्व के स्थानों सहित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं का संवर्धन और विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय, 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)', और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव करता है।

इसके अलावा, एएसआई संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर आगंतुकों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें विश्व धरोहर परिसंपत्तियों के रूप में सूचीबद्ध स्थल भी शामिल हैं। संरक्षण की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करते हुए, एएसआई व्यवहार्यता के अध्यधीन, संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सुविधाओं में शौचालय, पेयजल, शिशु देखभाल कक्ष, बेंच, पाथवे, कूड़ेदान, संकेतक, ध्वनि और प्रकाश शो, प्रकाश-व्यवस्था, स्मारिका की दुकान, व्याख्या केंद्र, कैफेटेरिया आदि शामिल हैं।

एएसआई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों से अनेक केंद्र या राज्य संचालित अनेक योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के तहत विकास संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त, एएसआई ने निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और एनजीओ/ट्रस्ट/सोसायटी आदि के साथ जुड़ने के लिए एक कार्यढांचा तैयार करने और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने तथा उन्हें आगंतुक-अनुकूल बनाने के लिए संरक्षित स्मारकों पर श्रृंखलाबद्ध सुविधाएं विकसित/प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए 'अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया।

(ख): पर्यटन विकास के समन्वय और आगंतुकों की सुविधा के लिए एक विशिष्ट पर्यटन कार्यालय की स्थापना के संबंध में खजुराहो में कार्यालय स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय का एक भारत पर्यटन कार्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है।

(ग) से (ङ): वर्तमान में, खजुराहो मंदिर परिसर में ध्वनि और प्रकाश शो के विकास/उन्नयन के लिए कोई भी प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, एएसआई द्वारा सूचित किया गया है कि पश्चिमी समूह के मंदिरों, खजुराहो में ध्वनि और प्रकाश शो का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। हाल ही में, उन्होंने लेजर बीम लाइट, हाई डिजिटल वॉल्यूम साउंड सिस्टम और अन्य सहायक तकनीकी घटकों को स्थापित करके इसे उन्नत किया है।

अनुबंध

श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा धरोहर स्थलों का विकास एवं व्यावसायिक प्रबंधन के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2467 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन (एसडी), स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0), चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) और तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम और स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
क	**स्वदेश दर्शन 1.0**	
i.	पन्नापेंच में - मुक्की - कान्हा-बांधवगढ़ -दुबरी-संजय-मुकुंदपुर-वन्यजीव परिपथ का विकास (दिसम्बर 2015)	92.10
ii.	सांची धार का विकास - मंदसौर - रीवा - सतना - (जुलाई 2016)	74.02
iii.	ग्वालियर - ओरछा - खजुराहो - चंदेरी - भीमबेटका - मांडू का विकास (सितम्बर 2016)	89.82
iv.	गांधीसागर बांध इंदिरा सागर - ओंकारेश्वर बांध - मंडलेश्वर बांध - केन - बाणसागर बांध - भेड़ाघाट - बरगी बांध - तवा बांध - बांध नदी का विकास (सितम्बर 2017)	93.76
ख	**स्वदेश दर्शन 2.0**	
i.	चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव (मार्च 2024)	27.22
ii.	फूलबाग अनुभव क्षेत्र (फरवरी 2024)	16.74
iii.	पीताम्बरा पीठ दतिया का विकास (जुलाई 2025)	44.24
ग	**चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)**	
i.	ओरछा एक मध्यकालीन वैभव 2.0 (मार्च 2025)	25.00
ii.	मांडूएक मध्यकालीन आश्चर्य- (जनवरी 2026)	24.88
घ	**तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)**	
i.	अमरकंटक का विकास (जनवरी 2021)	49.99
ii.	ओंकारेश्वर का विकास (जून 2017, दिसम्बर 2022 में संशोधित)	43.93
